राजस्थान सरकार
वन विभाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, अलवर

ज्योतिरावफुले सर्किल के पास, नयाबास, अलवर (राज0) – 301001

क्रमांक : एफ18(63)एफसीए / उवसं–अल. / 2021 / 8470 दिनांक : 29/7/24

प्रेषितिः–

परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग,
परियोजना कार्यान्चयन ईकाई, जयपुर।

विषयः– Diversion of 2.852 Ha forest land for construction of Toll plaza between km. 115.00 to km. 116 at Dehli-Jaipur section of NH-8 district Alwar, Rajasthan forest diversion proposal under forest conservation Act, 1980.

संदर्भः–इस कार्यालय का पूर्व पत्रांक 5233 दिनांक 13.04.2024,1978 दिनांक 10.07.2024,एवं 8108 दिनांक 18.07.2024 एवं आपका पत्रांक 1026 दिनांक 19.07.2024 Proposal No. : FP/RJ/ROAD/41266/2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव के क्रम में लेख है कि वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव सं0 FP/RJ/ROAD/41266/2019 में आप प्रयोक्ता एजेन्सी नामित है। इस प्रस्ताव के प्रत्यावर्तन प्रकियाधीन है। परन्तु संदर्भित पत्रों द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता के संज्ञान में आया है कि नियत प्रकिया से पूर्व ही आपके द्वारा वन संरक्षण, अधिनियम, 1980 के उल्लंघन करते हुए वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य संपादित किया गया है। इसके संबंध में निम्न बिन्दु की जानकारी प्रस्तुत करे।–

अतः आप इस संबंध में भारत सरकार की सैद्वान्तिक स्वीकति के बिन्दु संख्या 06 की पालना में वन संरक्षण, अधिनियम, 1980 के उल्लंघनकर्ता के नाम व पतें की जानकारी भिजवाये ।

1. शाहजहांपुर टोल –प्लाजा क्षेत्र के लिए पदस्थापित रहे परियोजना निदेशको के नाम, पता तथा मोबाईल नं0
2. शाहजहांपुर टोल –प्लाजा क्षेत्र के लिए पदस्थापित रहे परियोजना प्रबंधको के नाम, पता तथा मोबाईल नं0
3. शाहजहांपुर टोल –प्लाजा बनाने वाली निर्माणकर्ता एजेन्सी को नाम, पता तथा मोबाईल नं0

आपका पत्र 1026 दिनांक 19.07.2024 में तत्कालीन परियोजना निदेशको का नाम बताया है पूर्ण पता लिखे । इनके विरुद्व न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जाना है। आप जान बूझकर अधूरी सूचना भिजवा रहै है।

अतः आपको पुनः सूचित किया जाता है कि आप उक्त उल्लंघन के संबंध में अपना स्पष्टीकरण लिखित रूप में पुनः इस कार्यालय को 03 दिवस में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, जिसमें यह स्पष्ट करें कि क्यों ना आपके विरूद्ध वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत कार्यवाही की जाये ? आप द्वारा बिन्दु इस कार्यालय को 03 दिवस में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे। यदि आपके द्वारा समयावधि में स्पष्टीकरण व बिन्दु संख्या 1,2,3 की चाही गई सुचना प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लेली जावेगी।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार हुड्डा, IFS)
उप वन संरक्षक,
अलवर

F:\my\fca \Letter fca574